प्रथम दिवस आवरण First Day Cover

उत्तर प्रदेश विधान मंडल UTTAR PRADESH LEGISLATURE

Uttar Pradesh Legislature

The history of Uttar Pradesh legislature goes back to the British Era. In 1861, the Indian Councils Act was passed for the first time under which Indians were associated with the business of legislation. Under this Act, the Governor General was empowered to create provincial councils for North Western Province, Oudh (now Uttar Pradesh) and Punjab, and to create new provinces and appoint Lt.Governors for them.

For North Western Province and Oudh, nine members were nominated, of whom three were non-official. The council could consider legislative matters placed before them by the Government. The first meeting of the Legislative Council of Oudh was held at the Thornhill Memorial, Allahabad on Saturday, January 8, 1887 with the Lt. Governor presiding. The state legislature has thus completed 125 years on January 8, 2012.

The name 'Uttar Pradesh' was given to the state after independence on 12th January, 1950, before which it was called 'United Province'. The year 1952 marked a watershed year in the history of democratic India, when the first General Elections of independent India were held and millions of people went to the polls to exercise the democratic right granted to them by the Constitution of India to choose the country's legislators. Since then, Uttar Pradesh legislature has been constituted sixteen times. Currently the 16th Vidhan Sabha is in existence in Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh has a bicameral legislature- a Legislative Assembly and a Legislative Council. Uttar Pradesh was reorganised in November, 2000 through an Act of the Central Government, the successor state is known as Uttarakhand, comprising 13 districts of northern Himalayan region. Before reorganisation of the state of Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh Legislative Assembly consisted of 425 elected and 1 Anglo-Indian nominated members. At present the Uttar Pradesh legislature consists of 404 members in Vidhan Sabha and 100 members in the Legislative Council.

Uttar Pradesh with the largest state legislature and largest number of Lok Sabha members has always played a momentous role in the Indian political arena. The State has the distinction of giving eight Prime Ministers to the country starting with Pandit Jawaharlal Nehru.

Department of Posts is happy to commemorate the 125 years of Uttar Pradesh legislature by issuing a Commemorative Postage Stamp.

Credits:-

Text	:	Based on the material provided by the proponent
Stamp/FDC Cancellation	:	Alka Sharma

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India

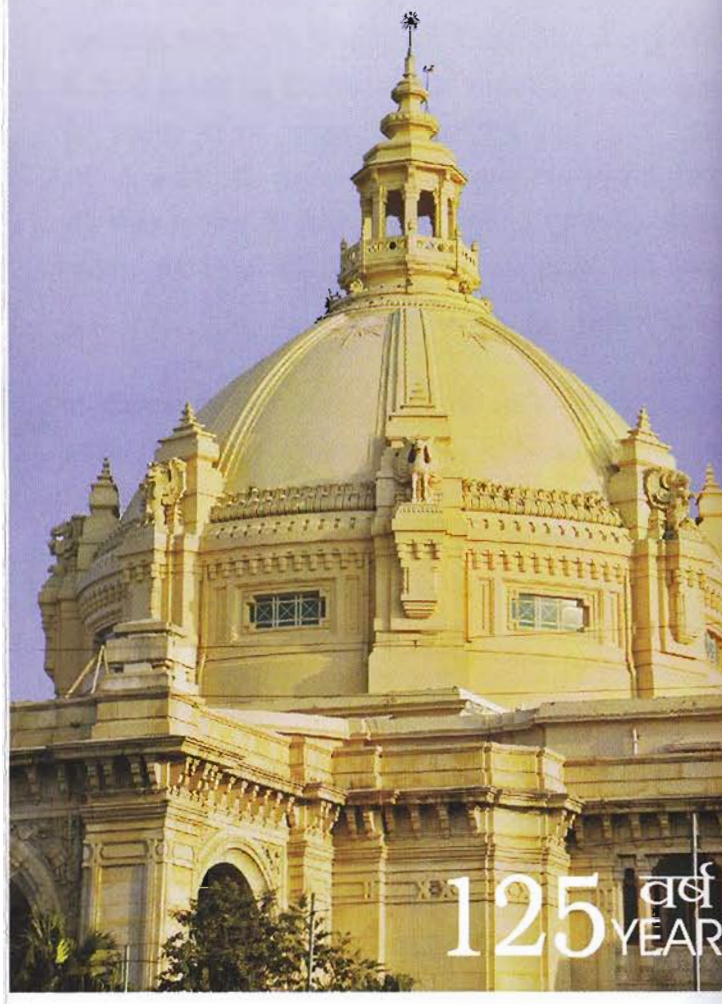

उत्तर प्रदेश विधान मंडल
UTTAR PRADESH LEGISLATURE

विवरणिका BROCHURE

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

उत्तर प्रदेश विधान मंडल का इतिहास ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। वर्ष 1861 में पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत भारतीयों को विधायी कार्यों से जोड़ा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को उत्तर–पश्चिम प्रांत, अवध (अब उत्तर प्रदेश) और पंजाब के लिए प्रांतीय परिषदें सृजित करने तथा नए प्रांतों की स्थापना करने और उनके लिए लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों की नियुक्ति करने हेतु शक्तियां प्रदान की गईं।

उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के लिए नौ सदस्यों को नामित किया गया जिनमें से तीन सदस्य गैर–सरकारी थे। परिषद सरकार द्वारा उसके समक्ष रखे गए विधायी मामलों पर विचार कर सकती थी। अवध की विधान परिषद की प्रथम बैठक थोर्नहिल मेमोरियल, इलाहाबाद में शनिवार, 8 जनवरी, 1887 को लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस प्रकार राज्य विधान मंडल ने 8 जनवरी, 2012 को 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य को 12 जनवरी, 1950 को 'उत्तर प्रदेश' का नाम दिया गया । इससे पहले इसे 'संयुक्त प्रांत' कहा जाता था। प्रजातांत्रिक भारत के इतिहास में 1952 का वर्ष एक परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में दर्ज है जब स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनावों का आयोजन किया गया तथा देश के विधायकों को चुनने के लिए भारत के संविधान द्वारा लोगों को प्रदान किए गए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए लाखों लोगों ने चुनाव में भाग लिया। तब से लेकर उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सोलह बार गठन किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16वीं विधान सभा अस्तित्व में है।

उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधान मंडल है– विधान सभा और विधान परिषद। नवम्बर, 2000 में केन्द्र सरकार के एक अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। उत्तरवर्ती राज्य उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है जिसमें उत्तरी हिमालयी क्षेत्र के 13 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा में 425 निर्वाचित तथा 1 नामित एंग्लो –भारतीय सदस्य होते थे। इस समय उत्तर प्रदेश विधान मंडल में विधान सभा में 404 सदस्य और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं।

सबसे बड़े विधान मंडल और लोक सभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में सर्वदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश को आठ प्रधानमंत्री देने का गौरव प्राप्त है।

डाक विभाग उत्तर प्रदेश विधान मंडल के 125 वर्षों के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करके प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :–

विषय वस्तु : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री

डाक–टिकट /

प्रथम दिवस आवरण विरुपण : अलका शर्मा

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख Date of Issue	: :	8 जनवरी, 2013 8 January, 2013
मूल्यवर्ग Denomination	: :	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक–टिकटें Stamps Printed	: :	4.1 लाख* 0.41 Million*
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक	:	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक
Printer	:	India Security Press, Nasik

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक–टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

* 1 लाख हजार प्रस्तावक हेतु।
* 0.1 million for the proponent

मूल्य ₹ 2.00